सत्रवाद सं0 857 / 2008

जिला–खूंटी

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, खूंटी

उपस्थितः–

राकेश कुमार मिश्रा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
खूंटी
दिनांक 27.07.2026

सत्रवाद सं0 857 / 2009

CNRJHKH010007322023

(प्रस्तुत वाद मुरहू थाना कांड सं0 60 / 2009 सामान्य वाद सं0 272 / 2009 से उत्सृजित है जिसका दौरा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी के द्वारा दिनांक 23.11.09 को किया गया है ।)

राज्य द्वारा फुलमणी सोय---------- अभियोजन

बनाम्

ए–1 बिरसा मुण्डा पिता–स्व0 साउ मुण्डा, साकिन–सिरका, थाना–मुरहू, जिला'–खूंटी..... अभियुक्त

अभियोजन पक्ष की ओर से :– श्री मनोज कुमार लकड़ा
बचाव पक्ष की ओर से :– श्री गोपाल राम गंझू , विद्वान अधिवक्ता

अनुलग्नक - II

घटना की तिथि	31.08.2009
प्राथमिकी की तिथि	04.09.2009
आरोप–पत्र की तिथि	06.11.2009
आरोप गठन की तिथि	12.04.2010
गवाही शुरु होने की तिथि	04.05.2010
तिथि जिस दिन निर्णय हेतु रखा गया	24.07.2026
निर्णय की तिथि	27.07.2026
सजा की तिथि, अगर हुई हो	N.A

अभियुक्त की विवरणी :

अभियुक्त क्रम स.-	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप की धाराएं	दोषी या रिहा	सजा की अवधी	सजा की अवधी जो विचारण में बीती हो, धारा 428 Cr.P.C. हेतु
ए–1	बिरसा मुण्डा	06.09.09	22.07.15	U/s 376 IPC	रिहा		About seven

							years

अनुलग्नक – III

गवाहों की सूची : अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क . अभियोजन साक्षी

क्रम स.	नाम	गवाहों के प्रकार (प्रत्यक्ष दर्शी, पुलिस, डाक्टर, पंच, अन्य)
PW 1	स्वयं पीड़िता	सूचिका
Pw 2	पीड़िता का भाई	सुनी–सुनायी साक्षी
PW 3	पीड़िता का बहन	सुनी–सुनायी साक्षी
PW 4	पीड़िता का पिता	सुनी–सुनायी साक्षी
PW 5	भंग मुण्डा	सुनी–सुनायी साक्षी
Pw6	ललन सिंह मुण्डा	जप्तीसूची के साक्षी
Pw7	घासी मुण्डा	पक्षद्रोही

ख . बचाव पक्ष के साक्षी, अगर हो तो

क्रम स.	नाम	गवाहों के प्रकार (प्रत्यक्ष दर्शी, पुलिस, डाक्टर, पंच, अन्य)
DW 1	कोई साक्षी परीक्षित नहीं किया गया है	
DW 2		

ग . न्यायालय के साक्षी, अगर हो तो

क्रम सं0	नाम	ग्वाहों के प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डाक्टर, पंच एवं अन्य)
CW 1	Not examined	
CW 2		

प्रदर्शों की सूची : अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क . अभियोजन

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरणी
1.	प्रदर्श–1	जप्तीसूची पर हस्ताक्षर

ख . बचाव

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरणी
1.	प्रस्तुत नहीं किया गया	
2.		

ग . न्यायालय

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरणी
1.	प्रदर्श C-1/CW 1	Not exhibited
2.	प्रदर्श C-2/CW 2	

घ . वस्तु प्रदर्श

क्रम सं0	वस्तु प्रदर्श	विवरणी
1.	None exhibited	

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के तहत अपराध कारित किये जाने हेतु विचारण किया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक सूचिका के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक 31.08.19 दिन सोमबार को रात आठ बजे खाना खाकर ढावा के बाहर वाला कमरा में सो गयी और इसका छोटा भाई एवं छोटी बहन अन्दर कमरे में सो गयी । इनके कमरे के आगे बास एवं झारी का दरवाजा है । करीब 12:00 बजे रात को ये कुछ आहट सुनकर गयी तब तक एक व्यक्ति इन्हें धमकी देने लगा और कहा कि वह एम0सी0सी0 का आदमी है, हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे और पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया । पीड़िता ने जब हल्ला की तो वह बाहर भागने लगा तो उसका टार्च और चप्पल इनके घर छुट गया और जब ये बाहर चांदनी रोशनी में गयी तो उसे पहचान गयी । इनके साथ बलात्कार करने वाला रिस्ते में इनकी चाचा बिरसा मुण्डा है जिसे वह पुकारी तो वह भाग गया । पीड़िता के सारी बात अपने परिवार वालों को बतायी तो इन्हें ग्रम प्रधान भैयाराम के पास ले गया और रात्रि होने के कारण उस दिन प्राथमिकी दर्ज नहीं करा पायी ।

3 सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर मुरहू थाना कांड सं0 60/2009, दिनांक 04.09.09 भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के तहत अभियुक्त बिरसा मुण्डा के विरुद्ध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान का भार अ0नि0 अनुप कुमार कर्मकार को सौंपा किया गया जो अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0 84/2009,

दिनांक 28.10.09 भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के अन्तर्गत समर्पित किया जिसमें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लेते हुए वाद का दौरा दिनांक 23.11.09 के आदेशानुसार सुपुर्द किये ।

4. दौरा सुपुर्दगी के पश्चात उपरोक्त अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा के विरुद्ध दिनांक 12. 04.10 को भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के तहत आरोप का गठन किया गया जिसका सारांश हिन्दी में पढ़कर अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा को सुनाया एवं समझाया गया जिसे सुन व समझकर अपने उपर लगे आरोप से इनकार किये तथा वाद विचारण की मांग किये।

5. आरोप गठन किये जाने के पश्चात अभियोजन पक्ष को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तत्पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में कुल सात साक्षी का साक्ष्य कराया गया जिसका वर्णन अनुलग्नक–III में किया गया है । अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अंकित कराया गया है जिसका वर्णन भी अनुलग्नक–III में किया गया है ।

6. अभियोजन का साक्ष्य दिनांक 14.07.26 को बंद किया गया और अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा नें इस वाद अपनी संलिप्तता से इनकार किये एवं स्वयं को निर्दोष बताये ।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रशन यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल हुए हैं अथवा नहीं ?

मंतव्य

8. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के अन्तर्गत विचारण किया जा रहा है जिसके समर्थन में अभियोजन पक्ष के द्वारा नौ साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसका वर्णन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

9. अभियोजन साक्षी सं0 1 जो स्वयं पीड़िता तथा प्रस्तुत वाद की सूचिका है, ने अपने साक्ष्य में कही है कि घटना करीब साढ़े तीन वर्ष पहले रात्रि के समय की है । उस दिन ये अपने घर के बरामदा में सोयी हुई थी तो बिरसा मुण्डा कपड़ा खोलकर बलात्कार किया, जिसके बाद सूचिका चिल्लाने लगी तो इनकी मां एवं छोटा भाई जो कमरे में सोयी थी, जग गयी । अभियुक्त टार्च और चप्पल छोड़कर भाग गया । चांदनी रात थी इसलिए अभियुक्त को इनलोगों ने पहचान किया । अभियुक्त ने हल्ला करने से मना किया और बोला कि ये एम0सी0सी0 है, हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे । उसके बाद सुबह सिरका गांव के ग्राम प्रधान के पास गये तथा घटना की जानकारी दिये तो ग्राम प्रधान के घर में उसके पिता का श्राद्ध चल रहा था,

इसलिए वह इनके घर नहीं आये तब गांव में मिटिंग किया तथा थाना जाकर केस की । साक्षी ने अभियुक्त का पहचान न्यायालय में करती है ।

सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कही है कि जिस समय अभियुक्त दरवाजा खोल रहा था, उस समय ये आवाज से जग गयी थी । दरवाजा खोलते वक्त भी अभियुक्त बोला था कि वह एम0सी0सी0 का आदमी है, हल्ला मत करो नहीं तो जान से मार देंगे । उसके बाद इनका ब्लाउज अभियुक्त खोज रहा था तो इसने उसे धक्का मारा और वह भाग गया । इनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के बाद वह हट गया था । इनके साथ अभियुक्त ने गलत काम किया था । जिस समय इनका साड़ी–ब्लाउज खोला था, उस समय भी हल्ला की थी, उसी समय इनका भाई और मां वहां आयी थी । पहले अभियुक्त ने इनका कपड़ा खोला फिर बलात्कार किया । इनकी मां और भाई के आने पर अभियुक्त भाग गया । चप्पल और टार्च से इनलोगों ने पहचान किया कि यह बिरसा मुण्डा का टार्च एवं चप्पल है । इनलोगों सहित पूरे गांव के लोगों ने अभियुक्त के टार्च एवं चप्पल की पहचान की जो घ ाटनास्थल पर अभियुक्त के भागते समय छुट गयी थी । चप्पल पांच नम्बर का था तथा टार्च हरे रंग का था । ये नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सोयी हुई थी । चांदनी रात होने के बावजूद भी बरामदे में अंधेरा था । जिस समय अभियुक्त घर से बाहर निकला उसी समय इनकी मां और भाई आये । जब इनकी एवं भाई वहां आये तो उनको बतायी कि एम0सी0सी0 का आदमी स्वयं को बताकर अभियुक्त पीड़िता का ब्लाउज और साड़ी खोल रहा था तब इनकी मां और भाई आया उसे समझाने तो अपना कपड़ा पहन लिया था । बिरसा का आवाज ये पहले से पहचानती थी । ये डर गयी थी इसलिए आवाज ठीक से नहीं सुनी थी । घटना के तीन दिन बाद मिटिंग हुई थी । ग्राम प्रधान बोला कि बिरसा मुण्डा पर केस करेंगे तब ग्राम प्रधान के कथनानुसार थाना जाकर यह केस किये । ग्रम प्रधान ने केस करवाया और वह इनके साथ थाना भी गया था । इनका चिकित्सीय जांच खूंटी अस्पताल में हुआ था ।

10. अभियोजन साक्षी सं0 2 जो पीड़िता का भाई है, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटनरा करीब तीन वर्ष एक माह पूर्व के रात्रि के बारह बजे की है । उस समय ये अपने घ ार के भीतर वाले कमरे में अपनी मां एवं छोटी दीदी के साथ सोया था तथा बड़ी दीदी बाहर कमरे में सोयी थी । बड़ी दीदी रोते–रोते अपनी मां को बता रही थी कि बिरसा मुण्डा ने उसके साथ गलत काम किया । ये अपने परिवार के लोगों के साथ बाहर निकला तो बिरसा मुण्डा को भागते हुए चांदनी रात में देखा । जहां इनकी बड़ी दीदी सोयी थी वहां बिरसा का टार्च एवं चप्पल छुटा हुआ था । सुबह होने पर ग्राम प्रधान भैयाराम मुण्डा के पास गये तथा घटना की जानकारी दी । भैयाराम मुण्डा अपने पिता के श्राद्ध में व्यस्त थे इसलिए नहीं आये तो दिनांक 03.09.09 को मिटिंग बैठाया तथा बिरसा को भी बुलाया पर वह नहीं आया जिसके बाद दिनांक 04.09.09 को गांव वालों के साथ थाना गये और केस किये एवं थाना में टार्च तथा चप्पल भी जमा कर दिये । साक्षी ने अभियुक्त का पहचान न्यायालय में करते है। सफाई पक्ष के द्वारा

किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जिस समय इनकी दीदी मां को घटना के बारे में बता रही थी उस समय इनलोगों ने घर में रोशनी नीं जलायी थी । जिस समय इनकी दीदी घ ाटना के बारे में बता रही थी उसके बदन पर केवल साया था साड़ी नहीं था । इनकी देदी हमेशा बरामदा में सोती थी और येलोग अंदर वाले कमरे में सोते थे । एक तारीख को टार्च और चप्पल भैया राम को दिखाया और फिर वापस लेते आया । टार्च निला रंग का था जबकि चप्पल का नंबर नहीं देखा था । साक्षी ने आगे कहा है कि ये अपनी दीदी के बताये अनुसार बता रहा है कि बिरसा का चप्पल और बिरसा का टार्च है ।

11. अभियोजन साक्षी सं0 3 जो पीड़िता की बहन है ने अपने साक्ष्य में कही है कि घटना लगभग साढ़े तीन साल पहले रात्रि की है और ये घर के अंदर सोयी हुई थी । इनकी दीदी / पीड़िता ने बताया कि बिरसा मुण्डा घर में घुसा था और धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया था । बिरसा को अपनी दीदी के साथ बलात्कार करते देखी थी । साक्षी ने अभियुक्त का पहचान न्यायालय में करती है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कही है कि इनकी दीदी अपने साथ सोने नहीं देती थी । रात्रि में इनकी दीदी कहां जाती थी, क्या करती थी, ये नहीं जानती है । घटना के तीन दिनों के बाद इनकी दीदी , इनकी मां एवं भैया ग्राम प्रधान के साथ थाना गयी थी । पुलिस इनसे पूछताछ की थी ।

12. अभियोजन साक्षी सं0 4 जो पीड़िता की मां है, ने अपने साक्ष्य में कही है कि पीड़िता इनकी बेटी है जिसके साथ बिरसा मुण्डा घर में घुसकर गलत काम किया । इसके बाद पीड़िता हल्ला किया तो बिरसा घर से निकल गया । घटना रात्रि की है । येलोग बिरसा को पहचान लिये । उसके बाद येलोग बिरसा के घर तरफ गये तो वह घर से नहीं निकला । फिर गांव में मिटिंग हुई तो बिरसा उसमें हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद येलोग ग्राम प्रधान भैयाराम के पास गये जो इन्हें थाना जाने के लिए कहा । बिरसा पहले थाना चला गया था । साक्षी ने न्यायालय में बिरसा का पहचान करती है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कही है कि पीड़िता और येलोग अलग–अलग सोते हैं । बारह बजे रात्रि में पीड़िता ने इनका दरवाजा खटखटाया तो इसने दरवाजा खोला । एतो नहीं सोया हुआ था । गुमी उस समय दूसरे जगह सोयी हुई थी । साक्षी ने आगे कही है कि थाना मे इनका बयान हुआ था और ये अपने बयान में कही थी कि जब इनकी बेटी हल्ला की थी तो बिरसा भाग चुका था । भैयाराम इनका देवर लगता है । उसके पास तीन दिनों के बाद गयी थी । थाना में लिखापढ़ी भैयाराम ने किया फिर उसके कहने पर पीड़िता ने सादा कागज पर टीप लगा दी । भैया राम ने ही इनका, इनकी बेटी एवं बेटा का नाम थाना में बताया था । चूकि दारोगा मुण्डारी नहीं जानता था, इसलिए भैयाराम ने दारोगा को हिन्दी में येलोग मुण्डारी में बोले, उसे समझाया था ।

13. अभियोजन साक्षी सं0 5 भंग मुण्डा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना तीन साल एक महीना पूर्व के बारह बजे रात्रि की है । ये उस समय अपने घर में था तो हल्ला

पर घर से निकला तो पीड़िता ने बोली कि बिरसा ने इनके घर में घूसकर उसके साथ रेप किया । बिरसा टार्च और चप्पल छोड़कर घटनास्थल से भाग गया था । टार्च और चप्पल को इसने देखा था । तीन दिनों बाद गांव में मिटिंग हुई थी जिसमें बिरसा नहीं आया तब पीड़िता ने थाना में जाकर केस कर दी । साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त का पहचान करती है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि पीड़िता और भैयाराम ने घ ाटना के बारे में पले बताया था । गवाही में वहीं बोला जैसा उनलोगों ने पहले बताया था । घ ाटनास्थल पर सफेद रंग का चप्पल छुटा था तथा हरा रंग का टार्च छुटा था । मिटिंग के दिन घटना की जानकारी हुई थी ।

14. अभियोजन साक्षी सं0 6 लखन सिंह मुण्डा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना तीन साल पूर्व के रात्रि की है । मिटिंग में सुना कि बिरसा मुण्डा ने पीड़िता को बेईज्जत किया है । मिटिंग के बाद थाना आये । थाना में चप्पल एवं टार्च जमा करनके के कागज पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 1 अंकित किया गया है । साक्षी ने अभियुक्त का पहचान करते हैं । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इस घ ाटना के बारे में इन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है । मिटिंग गांव के मालिक भैयाराम मुण्डा ने बुलाया था । मिटिंग के बाद येलोग थाना चले गये थे । थाना में इनसे सादा कागज पर हस्ताक्षर लिया गया था ।

15. अभियोजन साक्षी सं0 7 घासी मुण्डा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना छः वर्ष पूर्व के रात्रि की है । ये घर में सोय था, क्या घटना हुआ नहीं जानते हैं । पुलिस इनका बयान नहीं ली थी । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है । सफाई पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इन्हें घटना के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है ।

16. जहां तक अभियुक्त बिरसा मुण्डा के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर सबसे महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता जो अभियोजन साक्षी सं0 1 है, ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का तो समर्थन की है किन्तु प्रतिपरीक्षण के कंडिका 6 में कही है कि येलोग चप्पल और टार्च से पहचान किया कि यह बिरसा मुण्डा का टार्च एवं चप्पल है । न्यायलय के द्वारा किये गये प्रश्न क्या ग्राम प्रधान ने टार्च एवं चप्पल की पहचान की, के उत्तर में पीड़िता ने कही है कि इनलोगों सहित पूरे गांव के लोगों ने अभियुक्त के टार्च एवं चप्पल की पहचान की जो घटनास्थल पर अभियुक्त के भागते समय छुट गया था । इस साक्षी ने कंडिका 14 में कही है कि बिरसा की आवाज ये पहले से पहचानती थी किन्तु वह डर गयी थी इसलिए ठीक से आवाज नहीं सुनी कि वह आवाज बिरसा मुण्डा का था । इस साक्षी ने कंडिका 15 एवं 16 में कही है घटना के तीन दिनों बाद गांव में मिटिंग हुई थी जिसमें बिरसा मुण्डा नहीं आया तब ग्राम प्रधान बोला कि बिरसा मुण्डा पर केस करेंगे तब ग्राम प्रधान के कथनानुसार थाना जाकर यह केस किये । ग्रम प्रधान के केस करवाया था और वह मेरे

साथ थाना भी गया था । किन्तु अभियोजन पक्ष के द्वारा बरामद चप्पल और टार्च को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं हो पायी है ।

इस प्रकार अभियोजन साक्षी सं0 2, 3 एवं 4 जो पीड़िता की बहन, भाई एवं मां है, ये सभी साक्षी घटना के सुनी–सुनायी साक्षी है । अभियोजन साक्षी सं0 2 ने अपने साक्ष्य के कंडिका 13 में स्पष्ट तौर से कही है कि ये अपनी दीदी के बताये अनुसार बोल रही है कि बिरसा का चप्पल और टार्च है । इस साक्षी ने कांडिका 14 में कही है कि पुलिस में इनका बयान हुआ था और इसने पुलिस को कहा था कि तीन तारीख को मिटिंग में बिरसा नहीं आया तब पूरा गांव वाला इनकी दीदी को लेकर थाना गया था । अभियोजन साक्षी सं0 3 ने अपने साक्ष्य के कंडिका 4 में स्पष्ट तौर से कही है कि थाना में इनका बयान हुई थी जिसमें इसने कही थी कि जब इनकी बेटी हल्ला की तो बिरसा भाग चुका था । कंडिका 6 में कही है कि मिटिंग में बिरसा जब नहीं आया तो गांव वाले के साथ भैयाराम ने इनलोगों को थाना चलने के लिए कहा । इस साक्षी ने कंडिका 7 में स्पष्ट तौर से कही है कि थाना में लिखापढ़ी भैया राम ने किया था और उसके कथनानुसार इनकी बेटी कागज पर टीप का निशान लगा दी थी ।

अभियोजन साक्षी सं0 5 एवं 6 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट तौर से कहा है कि इस घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है । अभियोजन पक्ष के द्वारा इस वाद के अनुसंधान कर्त्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है जिससे घटनास्थल सिद्ध नहीं हो पाया है । इतना ही नहीं अभियोजन पक्ष के द्वारा न तो औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श अंकित कराया गया है और न ही पीड़िता के द्वारा घटना के समय पहने हुए वस्त्र को एफ0एस0एल जांच हेतु भेजा गया है । अभियोजन पक्ष के द्वारा इस वाद में चिकित्सक साक्षी का भी साक्ष्य नहीं कराया गया है जिससे पीड़िता के घटना तिथि को बलात्कार किये जाने की संपुष्टि नहीं हो पायी है । अभियोजन पक्ष के द्वारा मात्र इस कथन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि घटनास्थल पर बरामद चप्पल एवं टार्च अभियुक्त बिरसा मुण्डा का था, जिसे अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है और न ही उसे वस्तु प्रदर्श के रुप में अंकित कराया गया है

17. उपरोक्त की गयी विववेचनाओं के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यद्यति अभियोजन पक्ष द्वारा कतिपय साक्ष्य लाया गया है कि घटना तिथि को पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था, परन्तु विवेचना के आलोक में जबकि स्वयं पीड़िता का बयान संदेह से परे नही है तथा पड़िता के घटना तिथि को बलात्कार का न ही डाक्टरी साक्ष्य है और न ही इसकी पुष्टि फारेंसिक साक्ष्यों द्वार ही जा सकी है, ऐसी स्थिति में अभियोजन इस कांड में पीड़िता का बयान पूणतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । पुनः कथित अपराध कारित करने में अभियुक्त ए–1 बिरसा मुण्डा की संलिप्तता परोक्ष या अपरोक्ष रुप से था, अभियोजन ऐसा कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं ला पाये हैं, जिससे इस अभियुक्त को उक्त अपराध का दोषी ठहराया जा सके ।

अतः अभियुक्त ए–बिरसा मुण्डा को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से रिहा किया जाता है । चूंकि अभियुक्त बिरसा मुण्डा काराग्रस्त है । कार्यालय अविलम्ब मुक्ति आदेश निर्गत करें, तत्पश्चात काराधीक्षक उपकारा, खूंटी को निर्देश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त किसी अन्य वाद में बांछित न हो तो उन्हें कारा से अविलम्ब मुक्त करें ।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.26 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में अभियुक्तों की उपस्थिति में उनके विद्वान अधिवक्ता के समक्ष सुनाया गया ।

लेखापित एवं शुद्धित

ह0
राकेश कुमार मिश्रा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खूंटी ।
दिनांक 27.07.26

ह0
राकेश कुमार मिश्रा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खूंटी ।
दिनांक 27.07.26